राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अधिवक्तागण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली ग्राबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7-06-24 को पेश हों।

कार्य स्थगित

7-06-24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28-06-24 को पेश हो।

28-06-24 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आदेश सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 9-07-24 को पेश हो।

9-7-24 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज निर्णय सुनाये जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 37/2016

दायरा दिनांक 21.06.2016

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्दगुर्जर(RAS)

बउनवान

शिवनारायण आत्मज श्री मांग्या जाति बैरवा निवासी ग्राम बलवन हाल निवास उतनवाड़ तहसील श्योपुर जिला मुरैना(मध्यप्रदेश)

–प्रार्थी

बनाम

1. चौथमल आ0 कल्याण जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
2. कपूर आ0 कल्याण जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. शम्भूलाल आ0 कल्याण जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. बाबूलाल आ0 कल्याण जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
5. रमेश आ0 कल्याण जाति महाजन निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–अप्रार्थिगण

अन्तर्गत धारा 212 आ0टी0एक्ट

अधिवक्ताः– 1. श्री सुरेश कुमार वर्मा (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री धीरज जैन(अधिवक्ता अप्रार्थिगण 1 लगायत 5)

दिनांकः–09.07.2024

निर्णय

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्तवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ की खेवट खतौनी संख्या नई 133 पुरानी 133 खसरा संख्या 415 रकबा 3.15 है0, खसरा संख्या 437 रकवा 0.007 है0, खसरा संख्या 438 रकबा 1.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 है0 स्थित है जो प्रार्थी के पिता मांगया आ0 पुरिया जाति चमार के नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता मांग्या उसके जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर काबिज रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते रहे और मांग्या के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी बतौर खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

काश्त कर रहा है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में बिना किसी विधिक आधार के अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कल्याणमल महाजन का नाम जैली के रूप में दर्ज है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में आगे कथन किया है कि वाद विषयक आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता मृतक कल्याणमल व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का विधिक कास्तकार की हैसियत के रूप में कब्जा काश्त नहीं रहा। भूतपूर्व कोटा राज्य में जैली शब्द को उपअभिधारी नहीं माना गया है बल्कि अतिचारी माना गया है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता मृतक कल्याणमल के जीवनकाल में प्रार्थी के पिता मृतक मांग्या ने वाद विषयक आराजी का विधिवत रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया था क्योंकि मृतक माग्या ने वाद विषयक आराजी को आधेली काश्त पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता मृतक कल्याणमल को करीब 70 वर्ष पूर्व 2–3 वर्षो के लिये पट्टे पर काश्त करने के लिये दिया था। प्रार्थन पत्र में प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का सदस्य है और प्रार्थी के पिता मृतक मांग्या भी अनुसूचित जाति के सदस्य थे एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता मृतक कलयाणमल स्वर्ण जाति के सदस्य थे और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 भी स्वर्ण जाति के सदस्य है। वाद विषयक आराजी अनुसूचित जाति के खातेदार कृषक के नाम दर्ज होने के कारण स्वर्ण जाति के व्यक्ति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जैली के रू‌प में दर्ज रहने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 से अप्रैल 2016 के अंतिम सप्ताह में वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जैली शब्द विलोपित कराने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रार्थी को धमकी दी कि वाद विषयक आराजी पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर देगें और जबरन कब्जा कर लेगें। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को वाद विषयक आराजी से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है और अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त कृषि भूमि पर ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखलकर अनाधिकृत रूप से कब्जा नहीं करे और प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मांग्या पुत्र सरिया का नाम खातेदार के रूप में गलत दर्ज हो रहा है कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 उत्तरातागण के पिता श्री कल्याणमल का नाम बतौर जैली काश्त दर्ज है। प्रार्थी के पिता मांग्या आ0 पुरिया वादग्रस्त आराजी पर कभी भी काबिज काश्त नहीं रहे एवं प्रार्थी का भी वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। लगभग विगत 70 वर्षों से भी अधिक समय से वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कल्याणमल का मौके पर भौतिक रूप से आजीवन काबिज रहे एवं पिता कल्याणमल की मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त है। प्रार्थी के पिता मांग्या ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा संख्या 317, 333, 335 कुल 32 बीघा 3 बिस्वा थे को सन् 1959 में 1,000/– रुपये अक्षेरे एक हजार रुपये प्रतिफल स्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कल्याणमल आ0 माधोलाल जाति महाजन एवं माधो आ0 जोधा जाति बैरवा निवासीगण बलवन को संयुक्त रूप से बेचान कर दिया। उक्त बैचान के बयनामा भूमि का प्रार्थी के पिता मांग्या द्वारा दिनांक 29.06.1959 को उपपंजीयक कार्यालय इन्द्रगढ़ में पंजीकरण करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता मांग्या वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने समस्त हक अधिकार जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.06.1959 के पूर्ण रूप से हस्तान्तरित कर चुके है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का पिछले लगभग 70 वर्षों से वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है एवं मांग्या के समस्त प्रकार के हक अधिकार वादग्रस्त कृषि भूमि में से सन् 1959 में ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके है। तत्पश्चात उसी वर्ष 1959 में माधो आ0 जोधा जाति बैरवा द्वारा अपने हिस्से की 1/2 अराजी को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कल्याणमल को बैचान कर दिया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता कल्याण की जरिये पंजीकृत बयनामा खरीदशुदा आराजी है एवं कल्याणमल के देहावसान के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 कल्याणमल के वैध वारिसान के रूप में वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर बतौर खातेदार मालिक काबिज काश्त है एवं पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग कर रहें है जिसमें प्रार्थी का कोई दखल नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अतिक्रमी नहीं है अपितु सद्भावी क्रेता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रतिबंध दिनांक 01.05.1964 को प्रभावशील हुये। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में मांग्या द्वारा निष्पादित पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.06.1959 पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
बाकेरी (बून्दी)

प्रतिबंध लागू नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्ण स्वामी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 रेकोर्डेड के पिता कल्याणमल सद्भावी क्रेता है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 अपने पिता के समय से काबिज काश्त काश्तकार है ऐसी स्थिति में न तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है एवं न ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी का मुकदमा किसी भी दृष्टि से चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं 1 लगायत 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया कि काउन्टर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के खसरा संख्या 317, 333, 335 कुल किता 3 कुल रकबा 32बीघा 3बिस्वा थे जो कि प्रार्थी शिवनारायण के पिता श्री मांग्या पुत्र पुरिया की खातेदारी की कृषि भूमि थी। वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर 70वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1लगायत 5 के पिता कल्याणमल का कब्जा काश्त होने के कारण राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी 1लगायत 5 के पिता कल्याणमल का नाम जैली काश्तकार के रूप में दर्ज किया गया। मांग्या जी ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को जिसके सेटलमेन्ट से पूर्व के खसरा खसरा संख्या 317, 333, 335 कुल किता 3 कुल रकबा 32बीघा 3बिस्वा थे को सन् 1959 में 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये के प्रतिफल अप्रार्थी 1लगायत 5 के पिता कल्याणमल आ0 श्री माधोलाल जाति महाजन एवं श्री माधो आ0 श्री जोधा जाति बैरवा निवासीगण बलवन को संयुक्त रू॰ से बेचान कर दिया। उक्त बेचान के बयनामा भूमि का प्रार्थी के पिता श्री मांग्या द्वारा 29.06.1959 को उपपंजीयक कार्यालय इन्द्रगढ़ में पंजीकरण करवाया गया है। तद्पश्चात् उसी वर्ष सन् 1959 में ही माधो आ0 श्री माधो जाति बैरवा द्वारा अपने हिस्से की 1/2 अराजी को अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 के पिता श्री कल्याणमल जी को बेचान कर दिया गया। वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी अप्रार्थी 1लगायत 5 के पिता कल्याणमल की जरिये पंजीकृत बयनामा खरीदशुदा आराजी है एवं श्री कल्याणजी के दहवसान के पश्चात् अप्रार्थी 1लगायत 5 वारिसान के रूप में बतौर खातेदार मालिक काबिज काश्त है एवं उपभाग कर रहे है। अप्रार्थी वाद वर्णित कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में खातेदार अपने पिता के नाम की आड में अन्य व्यक्तियों को रहन,बय दान व हस्तान्तरित करने पर

उपखण्ड अधिकारी
बाछेरी (बून्दी)

आमादा है एवं अप्रार्थी 1लगायत 5 को नुकसान पहुँचाने पर आमादा है व वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अन्त अप्रार्थिगण ने निवेदन किया है कि अप्रार्थी 1लगायत 5 को अधिकार प्राप्त हैकि वे वाद वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में से मांग्या पुत्र पुरिया एवं जैली शब्द का इन्द्राज हटाकर अपने आप को खातेदार कृषक घोषित करवाये एवं प्रार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि अप्रार्थी 1लगायत 5 के शांतिपूर्ण कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे। अप्रार्थी 1लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर मांग्या जी द्वारा 29.06.1959 को किसी प्रकार के बेचान से इंकार किया गया एवं तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 29.06.1959 को काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पंजीकृत होने से शून्य एवं प्रभावहीन होना कथन किया गया है। शुन्य एवं प्रभावहीन दस्तावेज से अप्रार्थी सं 1 लगायत 5 के पिता व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 को कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं होना बताया। अन्त में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमारे द्वारा उभयपक्ष विद्वान की बहय सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुये अप्रार्थिगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 1994 Page no 1, RRD 2003 Page no 389, DNJ 2016(2) Page no 473 पेश किए। अधिवक्ता अप्रार्थिगण द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र व काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया जिसका अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विरोध किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRT 2009(1) Page no 177, RRT 2007(2) Page no 1067, RRD 1989 Page no 753, RRT 2009(1) Page no 217 पेश किए।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, प्रतिलिपी पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.06.1959, मिलान क्षेत्रफल व अन्य राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम बलवन तहसील इन्द्रगढ़ की खेवट खतौनी संख्या नई 133 पुरानी 133 खसरा संख्या 415 रकबा 3.15 है0, खसरा संख्या 437 रकबा 0.007 है0,

उपखण्ड अधिकारी
नावेरी (बूंदी)

...सरा संख्या 438 रकबा 1.36 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 4.58 है0 स्थित है मांग्या पुत्र पूरिया कौम चमार के नाम खातेदार दर्ज है तथा कल्याणमल महाजन का नाम जैली दर्ज है। प्रतिलिपी पंजीकृत बयनामा दिनांक 29.06.1959 से मांग्या पुत्र पूरिया निवासी बलवन द्वारा अपनी कृषि भूमि 1000/- रुपये प्रतिफल स्वरूप कल्याणमल आ0 माधोलाल जाति महाजन एवं माधो आ0 जोधा जाति बैरवा निवासी बलवन को संयुक्त रूप से बेचान करना जाहिर होता है। उक्त प्रस्तुत कथन मूल वाद पत्र में उभयपक्ष के साक्ष्य एवं शहादत के पश्चात् ही तय किया जा सकेगा। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम बलवन में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 नाम अंकित नहीं है। प्रार्थी द्वारा स्वयं को मांग्या पुत्र पूरिया का तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने स्वयं को कल्याणमल आ0 माधोलाल जाति महाजन का वारिसान होना अवगत करवाया है। पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थि संख्या 1 लगायत 5 में से किसी एक के पक्ष बिना मूल वाद में बिना उभयपक्ष साक्ष्य लिए तय करना न्यायोचित नहीं है। हमारे मत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी 1 लगायत 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र दोनों खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी 1 लगायत 5 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फैसल शूमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)